न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

25 / 2024

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट सिविल न्यायालय परिसर दूनी जिला टोंक राज0
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.08.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

दिनांक 01 जनवरी 2023 से 29 फरवरी 2024 तक कुल पंजीकृत वसीयतनाम में लगाये गये दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपी जिनमें स्व. अर्जित सम्पति व पुश्तैनी सम्पति के लगाये गये दस्तावेजो की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपी।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को पत्र कमांक 811 दिनांक 11.06.2024, 854 दिनांक 24.06.2024 व 964 दिनांक 03.07.2024 व 999 दिनांक 16.07.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना / सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक